



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269356
CG-DL-E-15012026-269356

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]
No. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2026/पौष 24, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026/PAUSHA 24, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2026

फा. सं. ई-11015/01/2024-हिंदी.—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/03/2024-रा.भा.(अनु.) के अनुसरण में तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 2022 के संकल्प सं. ई-11015/04/2019-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस पुनर्गठित समिति का संघटन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:-

गठन

। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

1.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री	अध्यक्ष
2.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष

II गैर-सरकारी सदस्य**क. संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित माननीय संसद सदस्य**

1.	श्रीमती हिमाद्री सिंह	लोक सभा	सदस्य
2.	श्री विष्णु दयाल राम	लोक सभा	सदस्य
3.	श्रीमती रेखा शर्मा	राज्य सभा	सदस्य
4.	श्री नितिन लक्ष्मणराव जाधव पाटिल	राज्य सभा	सदस्य

ख. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित माननीय संसद सदस्य

5.	श्रीयुत् श्रीरंग आप्पा बारणे	लोक सभा	सदस्य
6.	श्रीमती संगीता यादव	राज्य सभा	सदस्य

ग. मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

7.	श्री सुरेश चंद्र अध्यक्ष, हिंदी विभाग, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया जी, बिहार। स्थायी पता: 153/3, आवास विकास कॉलोनी, सासनी गेट, आगरा रोड, अलीगढ़- 202001, उत्तर प्रदेश।		सदस्य
8.	सुश्री अमरीन खान सिवाई कैक्ट्री रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ- 226003		सदस्य
9.	प्रो. (डॉ.) उमा शंकर सिंह स्थायी पता: लोकनगर, वी.टी.स्कूल रोड, जहानाबाद, बिहार -804408		सदस्य
10.	श्री राजेश कुमार मिश्री स्थायी पता: नगर पंचायत फतेहपुर, थाना फतेहपुर, जिला गया जी (बिहार) पिन कोड- 824232		सदस्य

घ. गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

11.	प्रो.(डॉ.) प्रणव मिश्रा, 33बी, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057		सदस्य
12.	श्री नीरव साठे, 10, विश्वभारती सोसायटी, नालंदा वाटर टैंक के पीछे, वाघोडिया रोड, वडोदरा -390019 (गुजरात)		सदस्य
13.	श्री पी. रंगनायाकुलू, चैतन्यम, हेरिटेज विजयेन्द्र नगर, संख्या 43/1, वीरपांडीय कोट्टाबोम्मन स्ट्रीट, वेम्बुली अम्मन कोइल के पास, पेरुंगुडी, चेन्नै-600096		सदस्य

ड. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली द्वारा नामित प्रतिनिधि

14.	श्री राकेश कुमार वर्मा कार्यपालक अभियंता (वै.), आवास सं. 2, के.लो.नि.वि., सेवा केन्द्र-8, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066		सदस्य
-----	--	--	-------

च. हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (झारखंड) द्वारा नामित प्रतिनिधि

15.	श्री अशोकानंद झा व्यवस्थापक, हिंदी विद्यापीठ, पो.-हिंदीपीठ, देवघर- 814115 (झारखंड) स्थायी पता: पं. बी.एन. झा पथ, पोखनाटिल्हा, देवघर, पिन- 814115 (झारखंड)		सदस्य
-----	---	--	-------

III सरकारी (पदेन) सदस्य

क.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व	
16.	सचिव	सदस्य
17.	विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार	सदस्य
18.	उप महानिदेशक (राजभाषा प्रभारी)	सदस्य सचिव
19.	संयुक्त सचिव (एआरआई)	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव (एसएमई)	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव (एएफआई)	सदस्य
22.	आर्थिक सलाहकार	सदस्य
ख.	राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व	सदस्य
23.	सचिव	सदस्य
24.	संयुक्त सचिव	सदस्य
ग.	संबद्ध/अधीनस्थ उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों का प्रतिनिधित्व	
25.	अपर सचिव व विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, नई दिल्ली।	सदस्य
26.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई, महाराष्ट्र।	सदस्य
27.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।	सदस्य
28.	अध्यक्ष, कयर बोर्ड, कोच्चि (केरल)।	सदस्य
29.	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद।	सदस्य
30.	निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, (एमगिरी), वर्धा, महाराष्ट्र।	सदस्य

IV कार्य

हिंदी सलाहकार समिति का कार्य मंत्रालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियमों के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन और संबंधित मंत्रालय/विभाग के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना है। यदि हिंदी सलाहकार समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किए गए किसी निर्देश/अनुदेश में परिवर्तन करने का सुझाव देती है, तो ऐसे सुझावों पर राजभाषा विभाग की सहमति से ही अमल किया जा सकेगा।

V कार्य-अवधि

1. समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
2. समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
3. विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
4. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

5. समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे, जब तक वे अपने उन पदों पर हैं जिनके नाते वे समिति के सदस्य हैं।

VI सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति से संबंधित सभी पत्राचार हमारे ई-मेल msmehindi@gmail.com पर किए जाएंगे।

VII. यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

(क) राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.॥/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) के तहत समिति में नामित सांसदों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 'संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954' के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा।

(ख) समिति के उच्च स्तरीय स्वरूप को देखते हुए समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ॥/22034/04/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित/ निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता देय होगा।

काजल जैन, उप महानिदेशक

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RESOLUTION

New Delhi, the 14th January, 2026

F. No. E-11015/01/2024-Hindi.—In pursuance of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs O.M. No. 11011/03/2024-OL(Re.) and in supersession of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises' Resolution No. E-11015/04/2019-Hindi, dated 21 July, 2022, Government of India, hereby, reconstitutes Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises. The composition, functions & tenure etc. of the reconstituted Samiti will be as under:

COMPOSITION:

I. Chairman & Vice-Chairman

1	Minister for Micro, Small & Medium Enterprises	Chairman
2	Minister of State for Micro, Small & Medium Enterprises	Vice-Chairman

II. NON-OFFICIAL MEMBERS

A. Hon'ble Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

1.	Smt. Himadri Singh	Lok Sabha	Member
2.	Shri Vishnu Dayal Ram	Lok Sabha	Member
3.	Smt. Rekha Sharma	Rajya Sabha	Member
4.	Shri Nitin Laxmanrao Jadhav Patil	Rajya Sabha	Member

B. Hon'ble Members of Parliament nominated by the Parliamentary Committee on Official Language

5.	Sri Srirang Appa Barane	Lok Sabha	Member
6.	Smt. Sangeeta Yadav	Rajya Sabha	Member

C. Members nominated by the Ministry:

7.	Mr. Suresh Chandra Chairman, Department of Hindi, Central University of South Bihar, Gayaji, Bihar. Permanent Address: 153/3, Awas Vikas Colony, Sasni Gate, Agra Road, Aligarh-202001, Uttar Pradesh.	Member
----	---	--------

8.	Ms. Amreen Khan Siwai Factory Road, Thakurganj, Lucknow- 226003	Member
9.	Prof. (Dr.) Uma Shankar Singh Permanent Address: Loknagar, V.T.School Road, Jahanabad, Bihar -804408	Member
10.	Shri Rajesh Kumar Mikki Permanent Address: Nagar Panchayat Fatehpur, Thana Fatehpur, District Gayaji (Bihar) Pin Code- 824232	Member

D. Members nominated by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language:

11.	Prof. (Dr.) Pranav Mishra, 33B, CPWD Colony, Vasant Vihar, New Delhi-110057	Member
12.	Sh. Nirav Sathe, 10, Vishwabharti Society, Behind Nalanda Water tank, Waghodia Road, Vadodara-390019 (Gujarat)	Member
13.	Sh. P. Ranganayakulu, Chaitanyam, Heritage Vijayendra nagar, No. 43/1, Veerapandiya Kottabomman street, Near Vembuli Amman Koil, Perungudi, Chennai-600096	Member

E. Representative nominated by Kendriya Schivalaya Hindi Praishad, New Delhi:

14.	Shri Rakesh Kumar Verma Address: Executive Engineer (E), H.No.2, C.P.W.D. Sewa Kendra-8, Ramkrishna Puram, New Delhi-110066	Member
-----	---	--------

F. Representative nominated by Hindi Vidyapeeth, Deoghar (Jharkhand):

15.	Mr. Ashokanand Jha Manager, Hindi Vidyapeeth, P.O.-Hindipeeth, Deoghar- 814115 (Jharkhand) Permanent Address: Pt. B. N. Jha Path, Pokhnatilha, Deoghar, Pin- 814115 (Jharkhand)	Member
-----	--	--------

III. OFFICIAL (Ex-OFFICIO) MEMBERS

A. Representation of Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	
16. Secretary	Member
17. Special Secretary & Finance Advisor	Member
18. Deputy Director General (In-charge, Official Language)	Member Secretary
19. Joint Secretary (ARI)	Member
20. Joint Secretary (SME)	Member
21. Joint Secretary (AFI)	Member
22. Economic Advisor	Member
B. Representation of Department of Official Language	
23. Secretary	Member
24. Joint Secretary	Member
C. Representation of Attached/Subordinate Undertakings/Autonomous Organisations:	
25. Additional Secretary & Development Commissioner, O/o Development Commissioner (M/o MSME), New Delhi	Member
26. CEO, Khadi and Village Industries Commission, Mumbai, Maharashtra.	Member
27. CMD, National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.	Member
28. Chairman, Coir Board, Kochi (Kerala).	Member
29. Director General, National Institute of Micro, Small & Medium Enterprises, Hyderabad.	Member
30. Director, Mahatma Gandhi Institute For Rural Industrialization (MGIRI), Wardha, Maharashtra.	Member

IV FUNCTIONS

The function of the Hindi Salahkar Samiti is to advice the Ministry, its attached and Subordinate offices on implementation of the constitutional provisions relating to official language, provisions of the Official Languages Act and Rules, decisions of the Central Hindi Committee and directions/instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) and to promote progressive use of Hindi in the working of the Ministry/Department concerned. If the Hindi Salahkar Samiti suggests changes in the Official Language Policy or any Directions/instructions issued in connection therewith, then compliance on such advice can be made only with the consent of the Department of Official Language.

V TENURE

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.
2. If a person is nominated as member in the middle of the term, he/she will hold the office for the residual term only of the Samiti.
3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
4. Members of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
5. Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti.

VI GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi. All correspondences related to the Samiti will be addressed to E-Mail msmehindi@gmail.com

VII T.A. AND OTHER ALLOWANCES

(a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954” and amendments issued from time to time and rules made thereunder vide Department of Official Language Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L (Policy-2), dated 03.02.2006 for participating in meetings of the Samiti.

(b) Keeping in view the high level status of the Committee, Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No.II/22034/04/86-OL(A-2) dated 22 January,1987 and in accordance with the revised/prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

KAJAL JAIN, Dy. Director General